कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

जिले के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा आए दिन विद्यालयों में चोरी की घटनाओं की सूचना दी जा रही है। वर्तमान में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यालयों में आईसीटी लैब, स्मार्ट टीवी ,कंप्यूटर, समरसेबल मोटर पंप एवं अन्य कई बहुमूल्य सामग्रियां स्थापित की गई हैं। इन कीमती सरकारी संपत्तियों एवं विद्यालय परिसर की सजग रूप से सुरक्षा किया जाना नितांत अनिवार्य है। यह अत्यंत खेदजनक है कि विद्यालयों में सुरक्षा हेतु **"रात्रि प्रहरी"** के कार्यरत रहने एवं उनके मानदेय का ससमय भुगतान होने के बावजूद चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो सीधे तौर पर रात्रि प्रहरियों द्वारा कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अतः विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु, जिले के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों को एतद् द्वारा निम्नलिखित सख्त निर्देश दिए जाते हैं-

1. उपकरणों की उपलब्धता- यदि आपके द्वारा अब तक रात्रि प्रहरी को अत्यधिक प्रकाश वाला टॉर्च तथा डंडा उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर विद्यालय विकास कोष की राशि का उपयोग करते हुए इसे क्रय कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. उपस्थिति एवं गश्ती का साक्ष्य- संबंधित रात्रि प्रहरी को यह कड़ा आदेश दें कि वे प्रतिदिन अपनी ड्यूटी पर आगमन का साक्ष्य नोट कैम एप से तस्वीर लेकर विद्यालय के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। साथ ही, मध्य रात्रि में गश्ती के दौरान भी कम से कम तीन बार (अलग-अलग समय पर) नोट कैम से विद्यालय परिसर में तस्वीर लेंगे। सुबह ड्यूटी से प्रस्थान करते समय वे प्रस्थान की तस्वीर के साथ-साथ रात्रि में ली गई गश्ती की उन तस्वीरों को भी एक साथ विद्यालय के ग्रुप में अनिवार्य रूप से साझा करेंगे।

3. सजग रात्रि गश्ती- रात्रि प्रहरी ड्यूटी के दौरान केवल एक स्थान पर विश्राम नहीं करेंगे, बल्कि समय-समय पर पूरे विद्यालय परिसर, विशेषकर आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और मुख्य गेट के तालों की जाँच करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर वे तुरंत इसकी सूचना प्रधानाध्यापक एवं स्थानीय पुलिस थाने को देंगे।

4. आचरण प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड का संधारण– सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अनिवार्य है कि सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एवं उनके आधार कार्ड की स्पष्ट छायाप्रति विद्यालय के सुरक्षित अभिलेख में अनिवार्य रूप से संधारित करें।

5. आचरण प्रमाण पत्र का अद्यतीकरण– आचरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में, संबंधित रात्रि प्रहरी को नया प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इस 30 दिन की अवधि के भीतर उन्हें हर हाल में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र विद्यालय में जमा करना होगा।

6. मानदेय भुगतान पर रोक– रात्रि प्रहरी के मानदेय का भुगतान केवल उपर्युक्त साक्ष्य (NoteCam से प्राप्त जियो–टैग तस्वीर) के आधार पर उनकी वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही किया जाएगा। यदि कोई रात्रि प्रहरी इन निर्देशों (जैसे– 30 दिनों के भीतर नया आचरण प्रमाण पत्र नही देना, मध्य रात्रि की तस्वीरें साझा नही करना या ड्यूटी से गायब रहना) का उल्लंघन करता है, तो प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से उनके मानदेय भुगतान की कार्रवाई पर रोक लगा देंगे।

उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालयों में चोरी होने की स्थिति में यदि रात्रि प्रहरी की लापरवाही अथवा प्रधानाध्यापक स्तर से निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता पाई जाती है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

8.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

08/5/26

ज्ञापांकः–898 हाजीपुर दिनांकः–08/05/26

प्रतिलिपिः– जिले के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं रात्रि प्रहरी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

8.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

08/5/26